



Govt. of Uttar Pradesh  
Department of Agriculture, Uttar Pradesh  
Directorate of Agriculture, Krishi Bhawan,  
Madan Mohan Malviya Marg, Lucknow-226001  
Email: jdafp.soil@gmail.com, website: <http://upagriparadarshi.gov.in>  
Telephone No. – 0522-2205864, Mob – 8429031539

**Request for Expression of Interest from Service Provider for Execution of Organic Farming Project under Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY)**

Adv. No. 01-A/F.P.

Dated 17-01-2020

Department of Agriculture Uttar Pradesh is implementing Project of Organic Farming under Paramparagat Krishi Vikas Yojna/Namami Gange Yojna in 29 districts of Uttar Pradesh. For all 29 districts **Service Provider (NGO/Private Company)** is to be selected to ensure successful implementation of Project activities as per the guidelines of the project.

The said **Service Provider** enlisted on PGS-India portal (<https://pgsindia-ncof.gov.in>) as Regional Council monitored by National Organic Center] Ghaziabad for Uttar Pradesh state may obtain information regarding Request for Expression of Interest (REOI), Terms of Reference (TOR), eligibility criteria, application format and other terms & condition from above address on any working day between 10 AM to 6 PM or from Department of Agriculture's website. The **Service provider** who fulfill the eligibility criteria may upload the application on prescribed format through **e-tender** latest by 06-02-2020 upto 3 PM. The Hard /Original copy should be submitted at the time of opening of proposal on 07-02-2020 at 12.00 PM. For any clarification please contact, Joint Director Agriculture (F.P.), Krishi Nideshalaya, Lucknow on given telephone or email.

  
Director Agriculture  
Uttar Pradesh



उत्तर प्रदेश सरकार  
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश  
कृषि निदेशालय, कृषि भवन,  
मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ-226001  
Email: jdafp.soil@gmail.com,  
website: <http://upagriparadarshi.gov.in>  
टेलीफोन नं० – 0522-2205864


परम्परागत कृषि विकास योजना/नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत जैविक खेती के क्रियान्वयन हेतु सर्विस प्रोवाइडर के चयन हेतु 'अभिरुचि के आमंत्रण' का प्रस्ताव

प्रकाशन संख्या- ०१-अ /आ०फा०

दिनांक 17-01-2020

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना/नमामि गंगे योजना में जैविक खेती के विकास की योजना के अन्तर्गत जैविक खेती का क्रियान्वयन प्रदेश के 29 जनपदों में किया जा रहा है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु सभी 29 जनपदों के लिये राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, गाजियाबाद से संचालित पी०जी०एस०-इण्डिया पोर्टल (<https://pgsindia-ncof.gov.in>) पर रीजनल काउंसिल के रूप में उत्तर प्रदेश हेतु मान्यता प्राप्त संस्था का चयन सर्विस प्रोवाइडर (एन०जी०ओ०/निजी कम्पनी) के रूप में किया जाना है।

इच्छुक संस्था, अभिरुचि की अभिव्यक्ति सम्बन्धी टर्म आफ रिफरेन्स, निर्धारित योग्यता प्रारूप तथा नियम एवं शर्तों से सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक ऊपर दिये गये पते पर अथवा कृषि विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित योग्यता रखने वाली संस्था को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ई-टेण्डर के माध्यम से दिनांक 06.02.2020 के अपरान्ह 3.00 बजे तक अपलोड हो जाने चाहिये तथा उसकी मूल प्रति दिनांक 07.02.2020 को मध्यान्ह 12.00 बजे प्रस्ताव खोलते समय प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की जानकारी संयुक्त कृषि निदेशक(बाढो०यो०), कृषि भवन, लखनऊ के उपरोक्त दूरभाष या ई-मेल पर की जा सकती है।

  
(सोराज सिंह)  
कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश।